भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं.2669

जिसका उत्तर 16.03.2023 को दिया जाना है

सड़क दुर्घटनाएं

2669. श्री संजय सेठ:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल के दिनों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं और इसके परिणामस्वरूप कितने लोगों की जान गई हैं;

(ग) क्या सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करने का कोई प्रावधान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर पथकर लगाने के लिए कोई समयावधि निर्धारित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस प्रयोजनार्थ एक निश्चित समयावधि निर्धारित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) सभी राज्यों/संघ राज्यों के पुलिस विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 2019 से 2021 तक देश में राष्ट्रीय राजमार्गों (एक्सप्रेसवे सहित) पर सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या नीचे दी गई तालिका में दी गई है:-

वर्ष	**सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या**
2019	137191
2020	116496
2021	128825

इसके अलावा, 2019 से 2021 तक झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों (एक्सप्रेसवे सहित) पर सड़क दुर्घटनाओं और मौतों की कुल संख्या नीचे दी गई तालिका में दी गई है:-

वर्ष	सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या	मौतों की कुल संख्या
2019	2074	1554
2020	1772	1241
2021	1890	1496

(ग) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में धारा 161 (हिट एंड रन मोटर दुर्घटना के मामले में मुआवजे के रूप में विशेष प्रावधान) और धारा 164 के तहत (मृत्यु या गंभीर चोट के मामले में मुआवजे का भुगतान) सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों और उनके परिवारों को मुआवजे के भुगतान से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। मंत्रालय ने दिनांक 25 फरवरी, 2022 की अधिसूचना के माध्यम से हिट एंड रन मोटर दुर्घटनाओं के पीड़ितों के मुआवजे (गंभीर चोट के लिए 12,500 रुपये से 50,000 रुपये और मृत्यु के लिए 25,000 रुपये से 2,00,000 रुपये) को बढ़ा दिया है। इसके अलावा, मंत्रालय ने 25 फरवरी 2022 को अधिसूचना जारी की है, जिसमें मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) द्वारा दावों के तेजी से निपटान के लिए विभिन्न हितधारकों के लिए समय-सीमा के साथ-साथ सड़क दुर्घटनाओं की विस्तृत जांच की प्रक्रिया, विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (डीएआर) और इसकी रिपोर्टिंग की प्रकिया को अधिदेशित किया गया है। राज्य स्तर पर मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरणों में दावे दर्ज किए जाते हैं।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 के अनुसार, उपयोगकर्ता शुल्क हमेशा के लिए एकत्र किया जाना है। सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के मामले में, रियायत अवधि के पूरा होने के बाद, केंद्र सरकार द्वारा 40% की कम दरों पर उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र किया जाना है। सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजनाओं के मामले में, परियोजना की पूंजीगत लागत की वसूली के बाद उपयोगकर्ता शुल्क दरों को घटाकर 40% किया जाना है।

*****